उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक– 79527/सावधि जमा/भुगतान/2017–18 दिनांक–13/10/18

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रधान कार्यालय के पत्रांक 98627/सावधि जमा/दिनांक 16.02.17 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा सावधि जमा धनराशि के भुगतान हेतु प्रधान कार्यालय से धनमॉग के सम्बन्ध में पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

बैंक की व्यवसायिक कार्य–कलापो की समीक्षा बैठकों में शाखा प्रबन्धकों द्वारा सावधि जमा के भुगतान में होने वाले विलम्ब एवं प्रधान कार्यालय से सावधि जमा के भुगतान हेतु धनराशि समयान्तर्गत प्राप्त न होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

अतः शाखा पर सावधि जमाकर्ता द्वारा अपने सावधि निक्षेप राशि की मॉग करने एवं शाखा द्वारा समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु यह सूचित किया जाता है कि सावधि जमा के भुगतान हेतु प्रधान कार्यालय के पत्रांक 98627/दिनांक 16.02.2017 के दिये गये निर्देशो में शिथिलता एवं सावधि जमा के भुगतान मे सरलीकरण हेतु प्रधान कार्यालय से धनमॉग पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है धनमॉग पत्र सहायक महाप्रबन्धक/प्रबन्धक श्रेणी–3 (सावधि जमा) को सम्बोधित करते हुए प्रेषित किया जाय तथा धन मॉग पत्र के साथ कोई संलग्नक प्रेषित न किये जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सावधि जमाकर्ता की मॉग पर समयान्तर्गत भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसमें कोई शिथिलता क्षम्य नही होगी।

संलग्नक–मॉग पत्र का प्रारूप।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त शाखा प्रबन्धक (जिला स्तरीय), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र की प्रति अपने जिले की समस्त शाखाओं को प्राप्त कराते हुये उक्त प्रारूप के अनुसार सूचना प्रेषित कराना सुनिश्चित करे।

2–प्रबन्धक श्रेणी–3 (लेखा), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

3–उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल), प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र समस्त प्रबन्धको को ई–मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करे।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (सावधि जमा)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक– /सावधि जमा/भुगतान/मांग पत्र/2017–18 दिनांक–

सहायक महाप्रबन्धक(सावधि जमा),
उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,
प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

महोदय,

अवगत कराना है कि बैंक की शाखा.................................जनपद............................ पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार सम्बन्धित सावधिजमा कर्ताओं द्वारा बैंक की सावधि जमा योजनान्तर्गत सावधिजमा में धनराशि निक्षेप करायी गयी थी, जिनके द्वारा सावधि निक्षेप राशि के भुगतान हेतु मॉग की गयी है। सावधि जमा कर्ताओ का विवरण निम्नवत है :–

(धनराशि रूपये में)

क0 सं0	जमाकर्ता का नाम	सावधि जमा का विवरण		सावधि जमा राशि का प्र0का0 में प्रेषण का विवरण			ब्याज सहित भुगतानित राशि	जनरल लेजर में बिजनेस खाते का अवशेष	कैशबुक के अनुसार नगद धनराशि
		तिथि	धन0	तिथि	धन0	यूटीआर नं0			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1									
2									
3									

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित सावधि जमा कर्ताओं से केवाईसी नार्म्स के अन्तर्गत सभी आवश्यक प्रपत्र जैसेः– पैनकार्ड, आधार कार्ड एवं पहचान पत्र की प्रमाणित प्रतियां तथा सावधि जमा प्रमाण पत्र मूल रूप में प्राप्त कर लिये गये है।

भवदीय,

शाखा प्रबन्धक
मोहर नाम सहित